

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ०ग०)

क्रमांक 3974 / वाचक / अ.वि.अ. / 2025
प्रति,

प्ररूप "ड"
(नियम 7 (2) के तहत अनुमति)

भैयाथान दिनांक 11 / 07 / 2025

श्री राजेश कुमार आ० परदेशी,
जाति चमार,
निवासी ग्राम चन्द्रमेढा,
तहसील भटगांव जिला सूरजपुर।

विषय :- रोपित वृक्ष की कटाई हेतु अनुमित।

—000—

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 06.06.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वन विभाग एवं राजस्व निरीक्षक को संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया, जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक भटगांव व वन परिक्षेत्राधिकारी केंवटाली से निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 17.06.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रजाति	लम्बाई	गोलाई
1.	सागवन	10 मीटर	3 फीट 9 इंच
2.	सागवन	12 मीटर	3 फीट 10 इंच
3.	सागवन	10 मीटर	4 फीट

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नं० 721/2 रकबा 0.22 हे० ग्राम चन्द्रमेढा प०ह०नं० 25 तहसील भटगांव स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागवन संख्या 03 है को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त 03 वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 7 के अनुसार छ०ग० वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छ०ग० परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए भूमि स्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा। सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी।

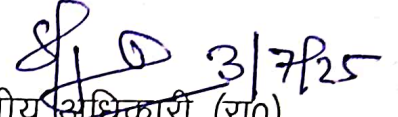
जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षा किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष

3/7/25

रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के माध्यम से कलेक्टर को दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र0 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

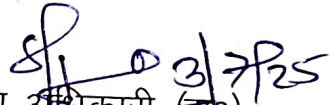
यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान जिला सूरजपुर

पृ0 क्रमांक 3074A/वाचक/अ.वि.अ./2025
प्रतिलिपि :-

भैयाथान दिनांक 11/07/2025

1. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार तहसील भटगांव को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान, जिला सूरजपुर